भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1794

04 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

केंद्रीय पूल द्वारा खाद्यान्न का भंडार

1794. श्री बृज लाल:
श्री जग्गेश:
श्रीमती माया नारोलिया:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्री मिथलेश कुमार:
श्री शिवेश कुमार:
श्री मयंककुमार नायक:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्री अमर पाल मौर्य:
श्री संजय भाटिया:
श्री सुभाष बराला:
श्री राजिन्दर गुप्ता:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में उपलब्ध गेहूँ एवं चावल का कुल भंडार निर्धारित बफर मानकों से अधिक था;

(ख) क्या रबी विपणन मौसम 2026-27 के दौरान की गई गेहूँ की खरीद की मात्रा, पिछले विपणन मौसम की तुलना में अधिक रही है;

(ग) क्या सरकार के पास रबी विपणन मौसम 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की गई खरीद से लाभान्वित किसानों की संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार ने अधिशेष खाद्यान्न भंडार का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित कर भंडारण लागत का अनुकूलन करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

...2/-

(क): दिनांक 1 अप्रैल, 2026 को केंद्रीय पूल (बफर स्टॉक) में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक और खाद्यान्न भंडारण मानदंड नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़े लाख टन में)

गेहूं और चावल का स्टॉक				खाद्यान्न भंडारण मानदंड (बफर स्टॉक)		
दिनांक तक	गेहूँ	चावल	कुल	गेहूँ	चावल	कुल
01 अप्रैल, 2026	217.92	386.10	604.02	74.60	135.80	210.40

(ख) और (ग): रबी विपणन मौसम 2025-26 और 2026-27 के दौरान गेहूं की खरीद और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

रबी विपणन मौसम	गेहूं की खरीद (लाख टन में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
2025-26	**299.75**	**2512823**
2026-27	**357.57**	**3482564**

(घ) और (ड.): भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं से अधिक अतिरिक्त खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) {ओएमएसएस (डी)} के तहत खुली बिक्री के माध्यम से बेचती है। इससे बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए खाद्यान्न को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, ओएमएसएस (डी) नीति के तहत सामान्य उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रमशः दिनांक 06.11.2023 और 06.02.2024 को भारत आटा और भारत चावल की शुरुआत की गई।
